कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2013 में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	जन्मतिथि	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
01.	अनीता कुमारी, रा. वोकेशनल उमावि नयापुरा, कोटा	गणित	20.04.85	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांकः राम/प-2 (13)रातस/बैच-29/2019/6121 दिनांकः 01.07.19

विभाग छोडने के बाद नियमानुसार इनका वर्तमान धारित पद पर दो वर्ष तक लियन रहेगा। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/अनापत्ति/कार्यमुक्त/आरएएस/2019 दिनांकः 03.07.19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. उपशासन सचिव, संबंधित विभाग ।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत् ।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), संबंधित संभाग।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), मुख्यालय जयपुर।
7. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआ/एबी/ओएसी प्रभाग।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा द्वारा उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा/पद हेतु विज्ञापित भर्तियों में सम्मिलित होने हेतु विभाग से अनापत्ति चाही है। यदि इनका उक्त पद हेतु चयन हो जाता है तो विभाग को कोई आपत्ति नही है।

क्र0सं0	नाम मय पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सम्मिलित होन वाली परीक्षा/साक्षात्कार/पद हेतु आवेदन
1	पारुल माहेश्वरी राबाउमावि रामगढ अलवर	जीव विज्ञान	03-11-1988	यूजीसी नेट एवं एच टी ई टी भर्ती परीक्षा 2018
2	चैन सिंह, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल हिण्डोली बून्दी	रसायन विज्ञान	20-10-1990	नेट जेआर एफ भर्ती परीक्षा 2018
3	मुनव्वर हुसैन कादरी राआउमावि गंगधार झालावाड	रसायन विज्ञान	08-10-1979	प्रधानाध्यापक (मा.वि) परीक्षा 2018/सहायक वन संरक्षक एवं रनेज ऑफिसर ग्रेड–1 परीक्षा में साक्षात्कार
4	धनश्याम मीना राउमावि पचलासा बडा डूंगरपुर	जीव विज्ञान	29-12-1982	सहायक वन संरक्षक एवं वन रनेज ऑफिसर ग्रेड–1 परीक्षा में साक्षात्कार
5	सागर राआउमावि रासलाना, हनुमानगढ़	रसायन विज्ञान	15-06-1989	हेडमास्टर(मा.शि) भर्ती परीक्षा 2018 में सम्मिलित
6	मुकेश कुमार, स्वामी विवेकानन्द रा. मॉ. स्कूल बालेसर जोधपुर	रसायन विज्ञान	10-06-1981	एसीएफ एण्ड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 2018
7	श्रीमती अनीता राआउमावि रूदिया भोपालगढ़ जोधपुर	रसायन विज्ञान	16-11-1988	आरपीएससी की एसीएफ एवं यूपीएससी की आई ए एस और geoscient and geologist परीक्षा

यदि इनका चयन उक्त सेवा में हो जाता है तो इन्हें विभाग छोडने से पूर्व पुनः अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है।

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/अन्नापत्ति/2019–20 दिनांक 03/07/2019

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

01. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,
02. संबंधित संस्था प्रधान
03. संबंधित कार्मिक
04. सिस्टम एनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग
05. गार्ड पंजिका

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

–कार्यालय–आदेश–

डॉ. ज्योति सारस्वत (व्याख्याता संगीत) राबाउमावि. बारहगुवाड़, बीकानेर जन्मतिथि 11.02.1986 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 29.07.2019 से 07.08.2019 तक 10 दिवस की विदेश यात्रा बाली (इंडोनेशिया) जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् अपने यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरूद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4 विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंवे:–
   (अ) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
   (ब) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
   (स) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
   (द) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृति अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा/संस्था/सी–5/विदेश अनुज्ञा/17 दिनांकः– 03/07/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा............................
2. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.................
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
4. संबंधित प्रधानाचार्य, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें ।
5. संबंधित कार्मिक.........................
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर